



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2010/श्रावण 13, 1932

No. 1598]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2010/SHRAVANA 13, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

का.आ. 1906(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रत्यायोजन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1111(अ), तारीख 14 मई, 2010 द्वारा इसके द्वारा गठित उत्तराखण्ड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को इस शर्त के अधीन करती है कि ऐसा प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण से उपर्युक्त अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के संबंध में कोई रिपोर्ट, विवरणी, सांख्यिकी, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा करेगा।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एनआरसीडी-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2010

S.O. 1906(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power vested in it under Section 20 of the said Act to the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 1111(E), dated the 14th May, 2010 subject to the condition that the Authority shall require any person or officer or other authority to furnish to such Authority any reports, returns, statistics, accounts and other information in relation to its functions under the aforesaid Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2010

का.आ. 1907(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1111(अ), तारीख 14 मई, 2010 द्वारा इसके द्वारा गठित उत्तराखण्ड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिवाद फाइल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एनआरसीडी-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2010

S.O. 1907(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the Uttarakhand State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 1111(E), dated the 14th May, 2010 or any authority or officer authorised by such Authority for the purpose of filing complaint for taking cognizance of any offence under the said Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.